प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड

पत्रांकः उ०वि०शि०प० / शोध / अंक विभा0–प्रति0व्य0 / 238-247 / 2022–23 दिनांक 12 सित0, 2022

विषयः हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में नवीन प्रतिस्थापित व्यवस्था, गृह व परिषदीय् परीक्षाफल निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 512/XXIV-4/2022-01(01) 2016 T.C. दिनांक 05 जुलाई, 2022 द्वारा हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रयोगात्मक व आन्तरिक मूल्यांकन वाले विषयों के अलावा अन्य समस्त विषयों में भी सैद्धान्तिक भाग के साथ–साथ आन्तरिक मूल्यांकन / प्रोजेक्ट / प्रयोगात्मक भाग का प्रावधान कर दिया गया है तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों के प्रयोगात्मक भाग के निर्धारित अंकों का बाह्य व आन्तरिक परीक्षक के मध्य 50–50 प्रतिशत अंकों का विभाजन कर दिया गया है। **उक्त प्रतिस्थापित व्यवस्था कक्षा 9, 10, 11 व 12 सभी कक्षाओं की परीक्षाओं (गृह व परिषदीय्) में वर्तमान सत्र 2022–23 में ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है।** इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के निर्गत संलग्न पत्रांकः उ०वि०शि०प० / शोध / हाई0–अंक विभा0 / 204–213 / 2022–23 दिनांक 23 अगस्त, 2022 व पत्रांकः उ०वि०शि०प० / शोध / इण्टर–अंक विभा0 / 214–223 / 2022–23 दिनांक 23 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से क्रमशः हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी तथा दिशानिर्देश आपको पूर्व में उपलब्ध कराये जा चुके हैं। साथ ही हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम की पृथक–पृथक विस्तृत जानकारी तथा दिशानिर्देश परिषद् की वेबसाइट पर भी अपलोड किये गये थे। विभिन्न विषयाध्यापकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर आंशिक संशोधनोपरान्त उक्त समस्त जानकारी परिषद् की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** के **CCE CORNER** लिंक पर पुनः प्रसारित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में किसी भी पृच्छा हेतु परिषद् के निम्नांकित शोध अधिकारियों / प्रवक्ताओं से सम्पर्क किया जा सकता है–

- डा0 नन्दन सिंह बिष्ट, शोध अधिकारी / प्रवक्ता मोबाइल न0– 7906489456
- श्री शैलेन्द्र जोशी, शोध अधिकारी / प्रवक्ता मोबाइल न0– 7055513072
- श्री मनोज कुमार पाठक, शोध अधिकारी / प्रवक्ता मोबाइल न0– 9456382382

अतः उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिशानिर्देशानुसार तत्काल आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक–उक्तवत्।

12/9/2022

(डा0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

पृ0 सं0– उ०वि०शि०प० / शोध / अंक विभा0–प्रति0व्य0 / 238-247 / 2022–23 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड / सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, कुमाऊँ, नैनीताल / गढ़वाल, पौड़ी।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।***
7. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।***
8. समस्त संस्थाध्यक्ष उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।***

12/9/2022

(डा0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्

अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड

पत्रांकः उ०वि०शि०प०/शोध/इण्टर–अंक विभा0/214-223 /2022–23 दिनांक 23 अगस्त, 2022

विषयः इण्टरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में इकाईवार अंकों का निर्धारण, आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का निर्धारण, प्रयोगात्मक भाग का बाह्य व आन्तरिक परीक्षक के मध्य अंक–विभाजन, सतत मूल्यांकन तथा गृह व परिषदीय् परीक्षाफल निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 512/XXIV-4/2022-01(01) 2016 T.C. दिनांक 05 जुलाई, 2022 द्वारा हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रयोगात्मक व आन्तरिक मूल्यांकन वाले विषयों के अलावा अन्य समस्त विषयों में भी सैद्धान्तिक भाग के साथ–साथ आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का प्रावधान कर दिया गया है तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों के प्रयोगात्मक भाग के निर्धारित अंकों का बाह्य व आन्तरिक परीक्षक के मध्य 50–50 प्रतिशत अंकों का विभाजन कर दिया गया है।

उक्त प्रतिस्थापित व्यवस्था कक्षा 9, 10, 11 व 12 सभी कक्षाओं की परीक्षाओं (गृह व परिषदीय्) में वर्तमान सत्र 2022–23 में ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है।

प्रतिस्थापित व्यवस्था के अनुरूप इण्टरमीडिएट स्तर पर विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में इकाईवार अंकों का निर्धारण, आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग हेतु मूल्यांकन बिन्दुओं/मानकों/अंकों का निर्धारण, प्रयोगात्मक विषयों के प्रयोगात्मक भाग के निर्धारित कार्य/अंकों का बाह्य व आन्तरिक परीक्षक के मध्य 50–50 प्रतिशत का विभाजन तथा सतत मूल्यांकन सम्बन्धी निम्नवत् दिशानिर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किये जा रहे हैं–

1. प्रतिस्थापित व्यवस्था के अनुरूप **इण्टरमीडिएट स्तर** के विभिन्न विषयों में आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का प्रावधान किये जाने के उपरान्त नवीन अंक व्यवस्था लागू हुयी है। विषयवार अंक विभाजन का विवरण निम्नवत् है–

S. No.	CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY		PRACTICAL		PROJECT		INTERNAL ASSESSMENT (IA)		TOTAL	
			MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS
1	101	HINDI	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
2	102	HINDI (AG)	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
3	103	ENGLISH	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
4	104	ENGLISH (AG)	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
5	105	SANSKRIT	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
6	106	URDU	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
7	107	PUNJABI	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
8	108	BENGALI	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
9	109	NEPALI	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
10	110	HISTORY	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
11	111	GEOGRAPHY	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
12	112	ECONOMICS	80	26	–	–	20	07	–	–	**100**	**33**

क्रमशः

S. No.	CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY		PRACTICAL		PROJECT		INTERNAL ASSESSMENT (IA)		TOTAL	
			MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS
13	113	HOME SCIENCE	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
14	114	HINDUSTANI MUSIC VOCAL	30	10	70	23	–	–	–	–	**100**	**33**
15	115	HINDUSTANI MUSIC MELODIC INSTRU.	30	10	70	23	–	–	–	–	**100**	**33**
16	116	HINDUSTANI MUSIC PERCU. INSTRU.	30	10	70	23	–	–	–	–	**100**	**33**
17	117	CARNATIC MUSIC VOCAL	30	10	70	23	–	–	–	–	**100**	**33**
18	118	CARNATIC MUSIC MELODIC INSTRU.	30	10	70	23	–	–	–	–	**100**	**33**
19	119	CARNATIC MUSIC PERCU. INSTRU.	30	10	70	23	–	–	–	–	**100**	**33**
20	120	DRAWING & PAINTING	30	10	70	23	–	–	–	–	**100**	**33**
21	121	POLITICAL SCIENCE	80	26	–	–	20	07	–	–	**100**	**33**
22	122	PSYCHOLOGY	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
23	123	SOCIOLOGY	80	26	–	–	20	07	–	–	**100**	**33**
24	124	EDUCATION	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
25	125	LOGIC	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
26	126	MILITARY SCIENCE	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
27	127	GEOLOGY	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
28	128	MATHEMATICS	80	26	–	–	–	–	20	07	**100**	**33**
29	129	PHYSICS	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
30	130	CHEMISTRY	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
31	131	BIOLOGY	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
32	132	ACCOUNTANCY	80	26	–	–	20	07	–	–	**100**	**33**
33	133	BUSSINESS STUDIES	80	26	–	–	20	07	–	–	**100**	**33**
34	134	AGRONOMY FIRST PAPER	50	16	50	17	–	–	–	–	**100**	**33**
35	135	AGRICULTURAL BOTANY	50	16	50	17	–	–	–	–	**100**	**33**
36	136	AGRICULTURAL PHYSICS & CLIMATO.	50	16	50	17	–	–	–	–	**100**	**33**
37	137	AGRICULTURAL ENGINEERING	50	16	50	17	–	–	–	–	**100**	**33**
38	138	AGRICUL. MATHS & ELE. STATISTICS	50	17	–	–	–	–	–	–	**50**	**17**
39	139	AGRONOMY (SIX Paper FOR PART 2AG)	50	16	50	17	–	–	–	–	**100**	**33**
40	140	AGRICULTURAL ECONOMICS	50	17	–	–	–	–	–	–	**50**	**17**
41	141	AGRICULTURAL ZOOLOGY	50	16	50	17	–	–	–	–	**100**	**33**
42	142	ANIMAL HUSBANDARY	50	16	50	17	–	–	–	–	**100**	**33**
43	143	AGRICULTURAL CHEMISTRY	50	16	50	17	–	–	–	–	**100**	**33**
44	144	COMPUTER	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
45	145	IT-ITES	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
46	146	AUTOMOTIVE	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
47	147	RETAIL	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
48	148	HEALTH CARE	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
49	149	SECURITY	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
50	150	TOURISM & HOSPITALITY	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**

क्रमशः

S. No.	CODE	NAME OF SUBJECT	THEORY		PRACTICAL		PROJECT		INTERNAL ASSESSMENT (IA)		TOTAL	
			MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS
51	151	BEAUTY & WELLNESS	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
52	152	PHYSICAL EDUCATION	70	23	30	10	–	–	–	–	**100**	**33**
53	153	AGRICULTURE	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
54	154	ELECTRONIC & HARDWARE	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
55	155	MULTISKILLING	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**
56	156	PLUMBER	30	10	50	16	–	–	20	07	**100**	**33**

2. जिन अन्य विषयों में आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग का प्रावधान किया गया है उनके सैद्धान्तिक भाग के इकाईवार भारांकों का नवीन निर्धारण किया गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक–1 पर वर्णित है। अन्य विषयों में इकाईवार भारांक पूर्व की भॉति यथावत् है।
3. समस्त विषयों में पाठ्यक्रम पूर्व की भॉति यथावत् है।
4. विभिन्न विषयों में आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग हेतु निर्धारित किये गये मूल्यांकन बिन्दुओं/मानकों तथा अंकों का विवरण अनुलग्नक–2 में विषयवार व कक्षावार दिया गया है।
5. परिषदीय् परीक्षा में प्रयोगात्मक विषयों के प्रयोगात्मक भाग हेतु निर्धारित अंकों में से 50% अंक की परीक्षा बाह्य परीक्षक द्वारा ली जायेगी जबकि शेष 50% अंक की परीक्षा आन्तरिक परीक्षक/विषयाध्यापक द्वारा ली जायेगी। बाह्य व आन्तरिक दोनों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त अंकों को जोड़कर प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक प्रदान किये जायेंगें, किन्तु व्यावसायिक शिक्षा विषयों में व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी। प्रयोगात्मक भाग के निर्धारित कार्य/अंकों का विषयवार बाह्य व आन्तरिक परीक्षक के मध्य विभाजन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।
6. गृह व परिषदीय् परीक्षा में प्रोजेक्ट वाले विषयों में प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन आन्तरिक परीक्षक/विषयाध्यापक द्वारा ही किया जायेगा।
7. रचनात्मक आकलन (Formative Assessment) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 9 से 12 तक गृह व परिषदीय् परीक्षाओं में सतत मूल्यांकन का समावेश कर इकाई परीक्षाओं को महत्व प्रदान करते हुये विद्यार्थी के परीक्षाफल निर्माण में उसे स्थान दिया गया है।
8. परीक्षार्थी को किसी भी विषय में सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट/आन्तरिक मूल्यांकन भाग (जो भी लागू हो) में प्रत्येक में पृथक–पृथक 33% अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।
9. परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा में अधिकतम किन्हीं दो विषयों में अधिकतम 08 अंकों का कृपांक देय होगा। किसी भी विषय में नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक अथवा प्रोजेक्ट और/अथवा आन्तरिक मूल्यांकन (जो भी लागू हो) भागों में प्रत्येक में पृथक–पृथक 25% अंक प्राप्त किये गये हों तथा समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों का योग न्यूनतम् 33% हो।
10. गृह व परिषदीय् परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा के दिन "सतत मूल्यांकन" के अन्तर्गत आन्तरिक परीक्षक द्वारा 05 अंक की एक विषय आधारित लिखित परीक्षा ली जायेगी।
11. इकाई परीक्षा व प्रोन्नति सम्बन्धी आवश्यक दिशानिर्देश व नियम अनुलग्नक–4 में संलग्न हैं।
12. नई व्यवस्था के क्रम में परीक्षाफल से सम्बन्धित प्रगति विवरण पत्र का प्रारूप परिवर्तित हुआ है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रगति विवरण पत्र का कक्षावार प्रारूप अनुलग्नक–5 के रूप में संलग्न हैं।
13. उपरोक्त विषयक विस्तृत जानकारी परिषद् की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** के **CCE CORNER** पर भी उपलब्ध है। किसी भी पृच्छा हेतु परिषद् के निम्नांकित प्रवक्ताओं/शोध अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है–

- श्री शैलेन्द्र जोशी, प्रवक्ता/शोध अधिकारी मोबाइल न0– 7055513072
- श्री मनोज कुमार पाठक, प्रवक्ता/शोध अधिकारी मोबाइल न0– 9456382382
- डा0 नन्दन सिंह बिष्ट, प्रवक्ता/शोध अधिकारी मोबाइल न0– 7906489456

अतः उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिशानिर्देशानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय

(बी0एम0एस0 रावत)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

पृ0सं0: उ०वि०शि०प०/शोध/इण्टर–अंक विभा0/214-223 /2022–23 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, कुमाऊँ, नैनीताल/गढ़वाल, पौड़ी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)***।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)***।
9. समस्त संस्थाध्यक्ष उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)***।

23/01/22

(बी0एम0एस0 रावत)
अपर सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)